भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)\* \* \*

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 86

(दिनांक 05.12.2013 को उत्‍तर के लिए)

**सीबीआई के संबंध में गुवाहाटी उच्‍च न्‍यायालय का निर्णय**

86. श्री एम. पी. अच्‍युतन :

श्री राम कृपाल यादव :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) माननीय गुवाहाटी उच्‍च न्‍यायालय के हाल ही के ऐतिहासिक निर्णय की घोषणा कि केंद्रीय अन्‍वेषण ब्‍यूरो (सीबीआई) का कोई विधिक अधिकार नहीं है और यह असंवैधानिक हैं, पर सरकार द्वारा क्‍या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या यह सच है कि सीबीआई का गठन दिल्‍ली विशेष पुलिस स्‍थापन अधिनियम, 1946 के अंतर्गत नहीं हुआ है और न ही स्‍वतंत्रता के पश्‍चात संसद के द्वारा सीबीआई के गठन अथवा इसे अधिकार प्रदान करने के लिए कोई कानून पारित किया गया है; और

(ग) इस गंभीर मामले में सरकार द्वारा अब तक की जा रही कार्रवाई का ब्‍यौरा क्‍या है?

**उत्तर**

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वे. नारायणसामी)**

(क) : माननीय उच्‍च न्‍यायालय, गुवाहाटी के निर्णय के विरूद्ध माननीय उच्‍च्‍तम न्‍यायालय में सरकार ने एक विशेष अनुमति याचिका दायर की है ।

(ख) एवं (ग) : मामला न्‍यायाधीन है ।

\*\*\*\*